

संख्या-952/एक-10-2021-33(10)/2020

प्रेषक,
रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

ई-मेल द्वारा प्राप्त
दिनांक 04/06/21 समय 3:49 pm
ई-मेल newnurssection10@gmail.com

सेवा में,
राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 03/06/2021

विषय:- राहत आयुक्त कार्यालय को आपदा के रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तरीय ई०ओ०सी० की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण पर होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु आवश्यक धनराशि आवंटित कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-2419/रा०आ०का०/अनु०प०/2020-21, दिनांक 25.05.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा के रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तरीय ई०ओ०सी० की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित सभी कार्यों एवं आईटी से सम्बन्धित कार्यों, कंट्रोल रूम हेतु आवश्यक उपकरण यथा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, फोटो कापियर आदि के संचालन व अनुरक्षण पर होने वाले व्यय, टोल फ्री न० 1070 पर 24*7 संचालित कॉल सेन्टर पर प्रत्येक माह होने वाले व्यय, वेब पोर्टल हेतु क्लाउड पर स्पेस एवं अन्य हार्डवेयर/साफ्टवेयर अपग्रेडेशन, एस०क्यू०एल० डेटाबेस लाइसेंस, एस०एस०एल० सर्टीफिकेट आदि पर होने वाले व्ययों को वहन करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु० 2,50,00,000/-(रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

संख्या 3454/स०रा०बे० एवं रा०आ०/2021

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

निजी सचिव श्रेणी-4
सचिव, राजस्व, बेसिक विभाग
उ०प्र० शासन एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का राहत आयुक्त कार्यालय पर लेखा-जोखा रखा जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 2- उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि रू० 250.00 लाख (रू० दो करोड़ पचास लाख मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

Digitally signed by रेणुका
Date: Thu Jun 03 17:40:31 IST
2021
Reason: Approved
(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-952(1)/ एक-10-2021-33(10)/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।